

छत्तीसगढ़ के श्रम पलायन परिवारों में बच्चों की शैक्षणिक समस्या का अध्ययन

गोपाल पटेल

सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, श्रीराम आदर्श महिला महाविद्यालय, सारंगढ़, छत्तीसगढ़, भारत

सारांश

भारत एक कृषि प्रधान देश है। जिसमें अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। इनका प्रमुख कार्य कृषि करना है। शिक्षा जन्म से मृत्युपर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है शिक्षा के माध्यम से बालक या व्यक्ति स्वयं को ज्ञान और अनुभव का धनी बनाता है। ज्ञान, अनुभव और समायोजन द्वारा वह अपने व्यवहार को परिवर्तित कर समय उपयोगी, शुद्ध और कल्याणकारी बनाता है। शिक्षा मानव चेतना का ज्योतिमय सांस्कृतिक पक्ष है, जिससे व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास होता है। अरस्तु ने ठीक ही कहा है कि – मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। शिक्षा के अभाव में मानव जीवन की कल्पना करना असंभव है। सृष्टि से लेकर अब तक शिक्षा का प्रभाव व अस्तित्व भली प्रकार स्वीकार किया जा रहा है। जब तक संसार में मानव का अस्तित्व बना रहेगा, तब तक शिक्षा की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी।

मुल शब्द: शैक्षणिक समस्या, शिक्षा, श्रमिक परिवार, पलायन, सर्व शिक्षा अभियान

भारत एक कृषि प्रधान देश है। जिसमें अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। इनका प्रमुख कार्य कृषि करना है। भारत के अधिकांश जनता कृषक, मजदूर, रिक्शेवाले, ठेले वाले, टांगेवाले, खेतिहर मजदूर, श्रम पलायन करने वाले और अन्य कार्य करने वाले होते हैं। इन लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी रहती है। अपने बच्चों को सही ढंग से शिक्षा के प्रति ध्यान नहीं दे पाते हैं। यहां तक की अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा भी ग्रहण कराने में समर्थ रहते हैं। इस कारण सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाए जा रही हैं जैसे – निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, पढ़ाबो-पढ़ावों योजना, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, सर्वशिक्षा अभियान है। जिसका उद्देश्य गरीब बच्चों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके और शिक्षा के प्रति रुचि जागृति हो सके। प्राचीन काल से ही "शिक्षा" शब्द का प्रयोग किसी न किसी अर्थ में होता चला आया है। शिक्षा माता के समान पालन-पोषण करती है, पिता के समान उचित मार्गदर्शन द्वारा अपने कार्यों में लगाती है तथा पत्नी की भांति संसारिक चिंताओं को दूर कर प्रसन्नता प्रदान करती है। शिक्षा के द्वारा हमारी कीर्ति का प्रकाश चारों ओर फैलता है। शिक्षा हमारे जीवन को सुसंस्कृत बनाती है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश के अस्त होने पर कमल के फूल कुम्हला जाता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा के प्रकाश को पाकर प्रत्येक व्यक्ति कमल के फूल की तरह खिल उठता है तथा अशिक्षित रहने पर दरिद्रता एवं कष्ट के अंधकार में डूबा रहता है। शिक्षा मनुष्य की आंतरिक क्षमताओं का बाह्यरूप में प्रकटीकरण का एक माध्यम है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वे सभी जैविकीय विशेषताएं विद्यमान होती हैं जो उसे एक सम्पूर्ण व्यक्तित्व बनाने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं, लेकिन व्यक्ति के समाजीकरण की प्रक्रिया उसके इस मार्ग की चुनौती होती है, क्योंकि व्यक्ति का सामाजिक-आर्थिक वातावरण ही उसके सामाजीकरण का आधार होता है। यही वजह है, कि निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले परिवारों में ज्यादातर शिक्षा के प्रति जागरूकता कम देखी जाती है। परिणामतः स्वयं तथा बच्चों के शिक्षा के विषय में उसे सोचने का वक्त नहीं होता है।

आजादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद हमारी भावना सुखमय जीवन व्यतीत करने की रही है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी, खाद्यान्न में कमी, भूखमरी, आवास, भोजन, स्वास्थ्य, पर्यावरण की समस्या बढ़ती जा रही है। जिसके कारण मनुष्य का जीवन सुखमय से कष्टमय हो गया है। आजादी के बाद हमारी सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के आर्थिक,

सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के साथ-साथ बड़े-बड़े उद्योग स्थापित किए हैं। कृषि को उन्नत एवं विकसित किया गया, यातायात के साधनों में वृद्धि की गई, समाज सुधार तथा सांस्कृतिक विकास के नये-नये कार्यक्रम आरंभ किए गए। फिर भी आज हमारा देश विकास में पिछड़ा हुआ है।

पलायन एक बहू आयामी घटना है, जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव है। आर्थिक विकास जनशक्ति नियोजन, नगरीकरण और सामाजिक परिवर्तन पर पड़ता वर्तमान के निरंतर परिवर्तित होते सामाजिक-आर्थिक परिवेश के संदर्भ में भारत की ग्रामीण जनसंख्या का गांवों से नगरों एवं महानगरों की आरे पलायन की प्रवृत्ति में अप्रयक्षित वृद्धि हुई है। जिसने न केवल जनसंख्या नियोजकों एवं निति निर्धारकों के समक्ष चुनौती प्रस्तुत की है, अपितु क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक विकास पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या के अधिकाधिक पलायन से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थ व्यवस्था प्रमाणित होती है, अपितु तत्कालिक परिपेक्ष्य में पलायनकर्ताओं के गंतव्य स्थल की अर्थव्यवस्था भी प्रमाणित होती है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के कई कारण उपलब्ध हैं जिसका कारण बेरोजगारी में वृद्धि होती जा रही है। इस बेरोजगारी के कारणों ही श्रमिक पलायन के लिए मजबूर होते हैं। प्रश्न यह है कि समस्या किसे माने बेरोजगारी को या पलायन को यदि बेरोजगारी समस्या है, तो उसका परिणाम पलायन है तथा हमें बेरोजगारी का समाधान ढुढना चाहिए यदि पलायन एक समस्या है तो हमें इसे रोकने के उपाय निर्मित करने होंगे तथा यदि इसे मात्र एक राजनीतिक समस्या बनाए रखना है तब इस भयावह बेरोजगारी को कम करने का एक मात्र समाधान पलायन ही है। क्योंकि पलायन करने वाले लोग पलायन स्थल पर रोजगार भी तलाश नहीं करते तथा इस प्रकार वहाँ बेरोजगारों की समस्या कम होती जा है। बच्चों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा का है, शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है, जो बालक के विकास के प्रत्येक पक्ष में सच्चा पथ प्रदर्शन करती है और यदि बालक के परिवार आर्थिक समस्या से ग्रसित है तो उनके लिये शिक्षा कैसे विकास का कारण बन सकता है। इस तरह आज शोषित, दलित व मजदूर वर्ग के लोगों के बच्चे के समक्ष अनेक समस्याएं होने के कारण वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

छत्तीसगढ़वासियों का सम्पूर्ण जीवन आधार कृषि है। कृषि का स्वरूप भी अनुपजाऊँ एवं एक फसलीय है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बढ़ती जनसंख्या एवं आवश्यकताओं की वृद्धि ने ग्रामीण क्षेत्रों से

श्रम पलायन की प्रवृत्ति में निरंतर वृद्धि की है। जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय श्रम की अनुपलब्धता ने स्थानीय विकास को प्रभावित किया है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए इस विषय पर शोध कार्य प्रस्तुत किया गया है, ताकि छत्तीसगढ़ से श्रम पलायन का बच्चों की शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जा सके। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य – “छत्तीसगढ़ के श्रम पलायन परिवारों में बच्चों की शैक्षणिक समस्या का अध्ययन” है। छत्तीसगढ़ के श्रम पलायन परिवारों में पलायन करने वाले श्रमिक परिवारों में बच्चों की शैक्षणिक समस्या पर अध्ययन की वास्तविक स्थिति ज्ञात की गई है।

पलायन का अर्थ

सामान्यतः किसी एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में सापेक्षित स्थायी गमन की प्रक्रिया प्रव्रजन के नाम से जानी जाती है। अन्य शब्दों में मनुष्य के निवास स्थान में परिवर्तन की घटना को ही पलायन कहा जाता है। यह घटना है। जिसमें एक मनुष्य या स्वतः प्राणी अपने मूल निवास आ अपनी जन्मस्थल को छोड़कर एक ऐसे स्थान की ओर गमन करता है। जो उसके लिए बिल्कुल नया होता है और वह व्यक्ति उस जगह के लिए अपरिचित होता है। पलायन सर्वकालीक एवं सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जो सदियों से चली आ रही है एवं आने वाले सदियों में चलती रहेगी तथा विश्व के समस्त राष्ट्रों एवं राज्यों में यह पाई जाती है तथा सदा पाई जायेगी।

छत्तीसगढ़ में पलायन के कारण

1. राज्य की 30 प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं संबंधित क्रियाओं में संलग्न है, उनमें से 55 प्रतिशत जनसंख्या कृषकों का तथा 26 प्रतिशत जनसंख्या कृषि मजदूरों की है। प्रव्रजन का संबंध जनसंख्या के इसी बड़े भाग से है।
2. स्थानीय कृषकों का तेजी से सीमांत कृषक और भूमिहीन मजदूर बनते जाना।
3. राज्य के कुल कृषि भूमि का केवल 21.7 प्रतिशत भाग ही सिंचित है। परिणाम स्वरूप कृषि कार्य हेतु वर्षा पर निर्भरता, उन्हें वर्ष के 6 माह बेरोजगार बनाये रखती है।
4. राज्य की कुल जनसंख्या का 45 प्रतिशत भाग गरीबों रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है।
5. वनों की अंधा-धुंध कटाई से अनियमित वर्षा का होना तथा जनजातियों क्षेत्रों में वनीकरण के काम पर स्थानीय लोगों को काम पर न लगाया जाना।
6. राज्य में रोजगारमूलक योजनाओं के प्राप्ति उदासीनता का भाव होना।
7. राज्य के अधिकांश लोगों में पलायन करने की प्रवृत्ति पाया जाना।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

शिक्षा स्वस्थ समाज का निर्माण करती है एवं स्वस्थ समाज में खुशहाली व सम्पन्नता होती है। समाज की ईकाई व्यक्ति है। यह सर्वविदित है कि इस ईकाई की दृढ़ता पर समाज निर्भर रहता है। समाज सही दिशा में विकास करें। इसके लिए आवश्यक है कि समाज में रहने वाले शिक्षित हो। सभी लोगों को शिक्षित करने के लिए सिर्फ सरकारी नीतियाँ ही सहायक नहीं होती है वरन् व्यवहार के रूप में सकारात्मक कदम उठाने से है। पलायन करने वाले श्रमिक परिवारों के समक्ष न केवल आर्थिक समस्या है वरन् सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक स्थिति से संबंधित समस्याएं भी आती है। इन समस्याओं का उचित समाधान नहीं हो पाता तो वे कुंठा के शिकार हो जाते हैं। इस स्थिति में बालक – बालिका के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस समय उनको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। पर पालक उनको पूरा-पूरा समय नहीं दे पाते, जिसका कारण यह है कि वे अपने

प्राथमिक आवश्यकता (रोटी, कपड़ा व मकान) की पूर्ति में दिन रात लगे रहते हैं। तो वे अपने बच्चों के विकास पर कैसे ध्यान दे पायेंगे।

पलायन करने वाले श्रमिक परिवारों जो समाज में शोषक मेहनती व कमजोर हैं, तथा रात दिन मजदूरी करने में लगे रहते हैं, वहां के बच्चों का शैक्षिक स्तर बहुत अच्छा नहीं होता है और ये पलायन करने वाले श्रमिक परिवारों के लोग शिक्षा के महत्व को भली-भांति समझते हैं। लेकिन अपने आर्थिक समस्या के कारण बच्चों के शिक्षा – अर्जन में उत्पन्न समस्या को दूर नहीं कर पाते। पलायन करने वाले श्रमिक परिवारों के बच्चों की शैक्षिक समस्या एक ज्वलंत समस्या के रूप में विद्यमान है। शासन द्वारा शिक्षा से संबंधित चलाये जा रहे विभिन्न अभियानों के फलस्वरूप भी वांछित परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। अतः पलायन करने वाले श्रमिक परिवारों के बच्चों की शैक्षिक समस्या का अध्ययन आवश्यक है। जिसके द्वारा इन बच्चों की समस्या का सूक्ष्म अध्ययन कर उन कारणों का पता लगाया जा सके, जो इन बच्चों की शिक्षा के प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न करते हैं। जिससे इन अवरोधों को दूर कर बच्चों को शिक्षा मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। अतः उक्त बातें अध्ययन की आवश्यकता को व्यक्त करता है।

पूर्व में किये गए शोध कार्य

किसी भी अध्ययन के चयन करने पश्चात् यह आवश्यक हो जाता है कि समस्याओं से संबंधित तथ्यों पर पूर्व में जो संबंधित शोध किये गये हैं। उनके निष्कर्षों का प्रयोग अपने शोध के विषय में व समस्या के समाधान के लिये किया जाये। इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है, कि विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों व मनोविज्ञानिकों ने पूर्व में जो शोध कार्य किये हैं, उनका अध्ययन किये गये हैं।

भारत में किये गये शोध का अध्ययन

चक्रवर्ती एस. (1986) – इन्होंने प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि पर पालकों के व्यवसाय तथा शैक्षिक स्तर द्वारा पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया इनके अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य – बालकों की शैक्षिक उपलब्धि पर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि तथा पिता के व्यवसाय का प्रभाव किस तरह से पड़ता है, का अध्ययन करना है।

इ.अहमद (1961) डी.एन.बहारा (1969) एवं आर.सी. चंदना (1970) ने – क्रमशः बिहार, राजस्थान एवं पंजाब प्रांतों में व्याप्त पलायन की समस्या एवं उनके प्रभावों का संबंधित राज्यों की परिस्थितियों के अनुसार विश्लेषण किया है।

जे.सी. फे एवं रेन्स (1963) में – आगे चलकर विस्तारित किया यह माडल इस तथ्य पर आधारित है कि कृषि क्षेत्र की तुलना शहरी औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के बेहतर अवसर का होना पलायन का एक प्रमुख कारक है।

ली (1966) – ने प्रवास को आकर्षण एवं विकर्षण कारकों के आधार पर स्पष्ट किया है। टोडारो (1967) ने अपने माडल में (प्रवास संबंधी) चार प्रमुख बातों का उल्लेख किया है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन प्रमुखतः आर्थिक विषमताओं के कारण होता है। पलायन इस अनुमान पर आधारित होता है, कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर एवं मजदूरी अधिक होगी, परंतु यह आवश्यक नहीं है, कि यह वास्तविकता भी हो। शहरी क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता शहरी क्षेत्रों के बेरोजगारी दर से संबंधित होता है।

एस.के.शर्मा (1989) – ने अविभाजित मध्यप्रदेश में पलायन की समस्या एवं इसके कारण तथा पलायनकर्ता श्रमिकों द्वारा अपनाए जाने वाले परिवहन के साधनों तथा श्रमिकों द्वारा पलायन पश्चात् किए जाने वाले कार्यों का विश्लेषण किया है।

अमर्त्य सेन (1999) – ने भारत के विभिन्न राज्यों में आए अकाल, बंगलादेश तथा इथोपिया में पड़े अकाल के आधार पर इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि अकाल से कृषकों के साथ-साथ उन पर आश्रित भूमिहीन श्रमिकों की स्थिति और भयावह हो जाती है तथा यह स्थिति इन्हें हजारों किलोमीटर दूर पलायन करने के लिए विवश करती है।

एस.एल.निराला (2001) – ने छत्तीसगढ़ श्रमिक पलायन के विषय में लिखा है कि गरीबी और निर्धनता छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की आर्थिक, सामाजिक एवं शारीरिक शोषण की अंतहीन दशा का भी उल्लेख किया है।

गुप्ता एवं शर्मा (1996) ने अपने पलायन संबंधी अध्ययन में यह स्पष्ट किया है कि मुख्यतः पुरुष ही प्रवास करते हैं तथा महिलाएं सामान्यतः पुरुषों का अनुसरण करते हुए प्रवास करती हैं।

शर्मा एवं गुप्ता (1997) ने छत्तीसगढ़ में श्रमिक प्रव्रजन से संबंधित अध्ययन में यह पाया कि अन्तर जिला एवं राज्य के बाहर होने वाले प्रवास के पीछे आर्थिक समस्याओं को तथा राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त एवं गंभीर प्रयासों के अभाव को प्रव्रजन का एक प्रमुख उत्तरदायी तत्व माना है।

सुन्दरी एवं रूखमणी (1998) का अध्ययन महिला प्रवासी श्रमिकों से संबंधित रहा है, जिसमें प्रवास का प्रवासी महिलाओं के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव की विस्तृत चर्चा की गई है। अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि प्रवास स्थल पर शैक्षणिक सुविधाओं के अभाव होने के स्थिति में बच्चों शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। कुछ प्रवासी मजदूर अपने बच्चों को प्रवास स्थल के विद्यालयों में पढ़ाना चाहते हैं, तो स्थानीय विद्यालयों में उन्हें आसानी से प्रवेश नहीं मिल पाता है, चूकि श्रमिक मूल रूप से अर्थापार्जन के लिए प्रवास करते हैं, ऐसी स्थिति में वे बच्चों की शिक्षा को लेकर न तो गंभीर हो पाते हैं ना ही उस स्तर का प्रयास करते हैं। परिणामतः प्रवासी परिवारों में निरक्षर बच्चों की तादात बढ़ती चली जाती है।

विदेशों में किए गए शोध अध्ययन

स्पुता चेरिल एल. पॉलसन एवं सेरॉन ई (सन् 1995)– इनके द्वारा बालक बालिकाओं की उपलब्धि पर परिव. स्पुता चेरिल एल. पॉलसन एवं सेरॉन ई (सन् 1995) के आकार तथा पालकों के व्यवहार के प्रभाव का अध्ययन किया गया। उन्होंने यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि किशोरी की उपलब्धियों पर परिवार के आकार का आर्थिक स्थिति का तथा पालकों के सहयोग का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

प्रवास के सिद्धांत पर सर्वप्रथम अध्ययन रेवेन्सटोन (1885–1888) – के द्वारा किया गया है जिसे उन्होंने प्रवास का नियम कहा है। इसी क्रम में पैटरसन (1955) वेन्क एवं हारडेस्टी (1959) ट्रेवर (1961), सहोता (1968), जोब्स एट आल (1992) वेन्क एवं हारडेस्टी (1993) आदि ने अपने अध्ययन में गैर आर्थिक कारकों को ग्रामों से शहरों की ओर पलायन में एक प्रेरक कारक माना है।

बेल्हम (1971), लक्समेह (1974), अरोरा में एवं कुमार (1980) एवं यादव (1981) – ने पलायन एवं आयु संबंधी अपने महत्वपूर्ण अध्ययनों में इन्होंने यह मत प्रस्तुत किया है, कि पलायनकर्ताओं की आयु 15–34 वर्ष के मध्य होती है।

सजास्टेड (1962) ने पलायन संबंधी अध्ययनों में मानव निवेश सिद्धांत के अंतर्गत मौद्रिक और गैर मौद्रिक दोनों ही कारकों को गांवों से शहरों की ओर पलायन हेतु जिम्मेदार माना है।

जे.सी. फे एवं रेन्स (1963) में – आगे चलकर विस्तारित किया यह माडल इस तथ्य पर आधारित है कि कृषि क्षेत्र की तुलना शहरी औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के बेहतर अवसर का होना पलायन का एक प्रमुख कारक है।

बुलसरा (1965) ने कलकत्ता में पलायनकर्ता श्रमिकों के अध्ययन में यह पाया कि 82 प्रतिशत पलायनकर्ता अकुशल श्रमिक थे।

ली (1966) – ने प्रवास को आकर्षण एवं विकर्षण कारकों के आधार पर स्पष्ट किया है। टोडारो (1967) ने अपने माडल में (प्रवास संबंधी) चार प्रमुख बातों का उल्लेख किया है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन प्रमुखतः आर्थिक विषमताओं के कारण होता है। पलायन इस अनुमान पर आधारित होता है, कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर एवं मजदूरी अधिक होगी, परंतु यह आवश्यक नहीं है, कि यह वास्तविकता भी हो। शहरी क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता शहरी क्षेत्रों के बेरोजगारी दर से संबंधित होता है।

टोडारो (1967) ने अपने माडल में (प्रवास संबंधी) चार प्रमुख बातों का उल्लेख किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन प्रमुखतः आर्थिक विषमताओं के कारण होता है। पलायन इस अनुमान पर आधारित होता है, कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर एवं मजदूरी अधिक होगी, परंतु यह आवश्यकता नहीं है, कि यह वास्तविकता भी हो। शहरी क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता शहरी क्षेत्रों के बेरोजगारी दर से संबंधित होता है। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की उच्च दर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में व्याप्त बहुत बड़े अंतर का परिणाम है।

बेल्हम (1971) एवं लक्समेह (1974) ने पलायन एवं आयु संबंधी अपने महत्वपूर्ण अध्ययनों में इन्होंने यह मत प्रस्तुत किया है कि पलायनकर्ताओं की आयु 15–34 वर्ष के मध्य होती है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन हेतु निम्न लिखित उद्देश्यों का निर्माण किया है –

1. छत्तीसगढ़ में पलायन करने वाले श्रमिक परिवारों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. पलायन करने वाले श्रमिक परिवारों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करना।
3. पलायन करने वाले श्रमिक परिवारों में बच्चों की शैक्षिक समस्या का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पना

प्रस्तुत समस्या के अध्ययन हेतु शोधकर्ता ने निम्न लिखित परिकल्पनाएँ निर्मित की हैं –

1. **परिकल्पना एच 1:** पलायन करने वाले श्रमिक परिवारों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति निम्न हो सकती है।
2. परिकल्पना एच 2– पलायन करने वाले श्रमिक परिवारों की शैक्षिक स्थिति निम्न हो सकती है।
3. परिकल्पना एच 3 – पलायन करने वाले श्रमिक परिवारों में बच्चों की शैक्षिक समस्या हो सकती है।

अध्ययन की परिसीमा

प्रस्तुत अध्ययन के लिए अध्ययनकर्ता ने निम्नलिखित परिसीमाओं का निर्माण किया है –

1. प्रस्तुत अध्ययन हेतु सारंगढ़–बिलाईगढ़ जिले का चयन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन हेतु सारंगढ़–बिलाईगढ़ जिले के अंतर्गत सारंगढ़ विकासखण्ड का चयन किया गया है।
2. प्रस्तुत अध्ययन हेतु सारंगढ़ विकासखण्ड के पांच गांव का चयन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन हेतु सारंगढ़ विकासखण्ड के पांच गांवों में रहने वाले पलायन करने वाले 20–20 श्रमिक परिवारों में से कुल 100 परिवारों का चयन किया गया है।
3. प्रस्तुत अध्ययन हेतु सारंगढ़ विकासखण्ड के पलायन करने वाले श्रमिक परिवारों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति, परिवारों की शैक्षिक स्थिति, बच्चों की शैक्षिक समस्या संबंधी अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन पलायन करने वाले श्रमिक परिवारों तक सीमित है।

4. प्रस्तुत अध्ययन हेतु निर्मित पलायन करने वाले श्रमिक परिवारों के लिए साक्षात्कार अनुसूची के निर्माण कर अध्ययन किया गया।

शोध प्रविधि

1. **जनसंख्या:** जनसंख्या इकाईयों के समूचे समूह को जिसके लिए चर का मान निकालना अभीष्ट जनसंख्या कहते हैं। जिसमें जनसंख्या के लिए 1400 पलायन करने वाले श्रमिक परिवारों को शामिल किया गया है।
2. **न्यादर्श:** प्रस्तुत शोध के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सारंगढ़ विकासखण्ड के पांच गांव का चयन किया गया है। जिसके अन्तर्गत 100 पलायन करने वाले श्रमिक परिवारों का चयन किया गया है। जिसके द्वारा शोध अध्ययन हेतु सारंगढ़ विकासखण्ड के पांच गांव के पलायन करने वाले श्रमिक परिवारों का चयन दैवनिदर्शन विधि से किया गया है। शोधकर्ता ने समस्या के समाधान हेतु पलायन करने वाले श्रमिक परिवारों का न्यादर्श हेतु चयन किया है।
3. **उपकरण:** प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा स्वयं निर्मित उपकरण साक्षात्कार- अनुसूची का प्रयोग किया गया है।
4. **सांख्यिकीय विश्लेषण:** अनुसंधान प्रक्रिया में चयनित प्रतिदर्शों के द्वारा प्रदत्तों का संकलन किया गया और सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया। प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रतिशत विधि का प्रयोग समीक्षात्मक अध्ययन के लिए किया गया। पलायन करने वाले श्रमिक परिवारों के बच्चों की शैक्षिक समस्या का पर एक अध्ययन करने के लिए स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया गया है, जिसमें अधिकतर (हां/नहीं) वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इसके लिए संकलित प्रदत्तों को सारणीकृत किया गया और प्रदत्तों द्वारा प्राप्त आंकड़ों का योग कर प्रतिशत निकाला गया है।

निष्कर्ष: शोध अध्ययन के आधार पर शोधकर्ता को निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए –

1. प्रथम परिकल्पना के अनुसार पलायन करने वाले श्रमिक परिवारों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति निम्न हो सकती है पर अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष परिकल्पना की पुष्टि करता है क्योंकि अध्ययनगत समूह के शतप्रतिशत खेतीहर मजदूर गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, अधिकांश उत्तरदाता कच्चे मकान में रहते हैं तथा अधिकांश कृषि मजदूरों के पास कृषि भूमि तो है तो उससे उन्हें वर्ष के 5-6 माह ही रोजगार मिल पाता है। परिणामतः उन्हें अपने जीवकोपार्जन के लिए गैर कृषि मजदूरी करना पड़ता है। कृषि तथा गैर कृषि मजदूरी से प्राप्त आय को 60 प्रतिशत उत्तरदाता परिवार की आवश्यकता की दृष्टि से अपर्याप्त मानते हैं। इसी प्रकार खेतिहर श्रमिकों की सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है। अध्ययन से प्राप्त तथ्य यह स्पष्ट करता है कि 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं के गांव में अधिकांश लोग निरक्षर हैं, 50 प्रतिशत उत्तरदातायह मानते हैं, कि गांव का वातावरण अच्छा नहीं रहता है, जबकि अधिकांश उत्तरदाताओं के अनुसार बच्चें एवं गांव के लोग नशापान करते हैं। इसी प्रकार गाँव में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के विषय में शत प्रतिशत उत्तरदाताओं शुद्ध पेय जल, बिजली और सड़क का उचित प्रबंध होना बतलाया है, जबकि 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नाली की भी व्यवस्था होने की जानकारी दिया है।

निष्कर्षत

यह कहा जा सकता है कि पलायन करने वाले श्रमिक परिवारों की सामाजिक – आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा

सकती है।। इस प्रकार पलायन करने वाले श्रमिक परिवारों की सामाजिक – आर्थिक स्थिति का प्रभाव बच्चों की शिक्षा पर पड़ता है। अतः परिकल्पना की पुष्टि होती है।

1. द्वितीय परिकल्पना के अनुसार पलायन करने वाले श्रमिक परिवारों की शैक्षिक स्थिति निम्न हो सकती है अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष परिकल्पना की पुष्टि करता है क्योंकि अध्ययनगत पलायन करने वाले श्रमिक परिवारों शिक्षा के प्रति जागरूक है। अतः परिकल्पना की पुष्टि करता है। उत्तरदाताओं की शैक्षणिक स्थिति संबंधी उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि 50 प्रतिशत उत्तरदाता ही शिक्षित है 50 प्रतिशत 5वीं तक ही शिक्षा प्राप्त किए हुए है, 50 प्रतिशत ने 8वीं तक शिक्षा प्राप्त किया है। अधिकांश उत्तरदाताओं ने निरक्षर होने के कारण घर की आर्थिक स्थिति को माना है, 40 प्रतिशत ने पिता के द्वारा नहीं पढ़ाया जाना, 60 प्रतिशत के अनुसार खुद ही नहीं पढ़ पाना प्रमुख कारण है। अधिकांश उत्तरदाताओं की पत्नीयां निरक्षर हैं केवल 35 प्रतिशत माताएं ऐसी है जिन्होंने प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त किया है। वहीं 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं की रुचि शिक्षा के प्रति नहीं है। 50 प्रतिशत अभिभावक ने यह भी बतलाया है कि उनके परिवार के लोगों की रुचि शिक्षा के प्रति नहीं है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि पलायन करने वाले श्रमिक परिवारों की शैक्षिक स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। अतः परिकल्पना की आंशिक पुष्टि होती है।
2. तृतीय परिकल्पना के अनुसार पलायन करने वाले श्रमिक परिवारों के शैक्षिक समस्या अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष परिकल्पना की पुष्टि करता है, क्योंकि बच्चों की शैक्षणिक स्थिति संबंधी विवरण से यह ज्ञात होता है कि 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है, कि गरीबी रेखा में जीवन यापन करने के बाद भी लगभग 10 प्रतिशत लोग अपने बच्चे को निजी विद्यालय में पढ़ाते हैं इसमें भी वे लडके को प्राथमिकता देते हैं। ज्यादातर लोग बच्चों को आवश्यक ड्रेस, पुस्तक, जूता, बेल्ट, टिफिन की जरूरतें पूरा करते हैं, वे कुछ 25 प्रतिशत उत्तरदाता बच्चों को आटो या रिक्शा से स्कूल भेजते हैं। यह तथ्य परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। बच्चों की प्रगति रिपोर्ट और पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन के विषय में वे उदासीन पाये गये हैं। जिसका कारण उनके सामाजिक परिवेश को दिया जा सकता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि श्रम पलायन करने वाले श्रमिक परिवारों में बच्चों की शैक्षिक स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। इस प्रकार पलायन करने वाले श्रमिक परिवारों के बच्चों में शिक्षा की समस्या है। अतः परिकल्पना की पुष्टि होती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. बघेल, किरण –अगांकिकीय एवं भारत के जन स्वास्थ्य, पुष्पराज प्रकाशन, रीवा (म.प्र.)
2. सेन, अमर्त्य – गरीबी और अकाल (1999)
3. भटनागर, आर.पी. एवं भटनागर, मीनाक्षी (2005). "शिक्षा अनुसंधान", मेरठ, इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, द्वितीय संस्करण, 223-233.
4. सकसेना, एस.सी. –श्रम समस्याएं एवं सामाजिक सुरक्षा रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ (1996) पृष्ठ सं. – 37
5. यादव, विनोद (2008). "छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में ग्रामीण क्षेत्रों से श्रम पलायन की समस्या एक आर्थिक विश्लेषण", अप्रकाशित शोध प्रबंध, पं.रविषंकर शुक्ल, वि.वि.रायपुर, 13-18.

6. सिन्हा, वी. सी. एवं सिन्हा, पुष्पा (1999). "जनांकिकीय के सिद्धांत", मयूर पेपर बैक्स, नोयडा, 162-220.
7. राय, पारसनाथ एवं भटनागर (1973). "अनुसंधान परिचय", अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा, 62-90.
8. लक्कड़वाला (1963). "वर्क, वेजेजएण्ड वैल बिइंग इन एन एण्डियन मेट्रोपोलियन इकानामिक सर्वे ऑफ बाम्बे." 120.
9. सरीन और सरीन (2007). "शैक्षिक अनुसंधान विधियाँ", अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा. सप्तम संस्करण, 120-123
10. Awasthi, IC. "Migration Pattern in Hill Economy of Uttarakhand: Evidence field Enquiry", The Indian Economic Journal, 2010:57(4):84-99.
11. Todaro MP. "A Model of Labour Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries", American Economic Review, 1969, 59(1).
12. Bohara DM. Internal Migration in Rajasthan. Indian Journal of Geography, 1969:4:5-6.
13. Bulsara JF. Problems of Rapid Urbanization in India. Bombay Popular Publication, 1965.
14. Dasgupta B. and R. Laishley. "Migration from Villages", Economic and Political Weekly, 1975:10(42):1952-63.
15. Joshi G. Verma DK. "In search on Livelihood Labour Migration from Chhattisgarh", Manak Publication, New Delhi, 2004.
16. Ahmed E. "Migration in Parihar", Bombay Geographical Magazine, 1961:9:8-9.
17. Premi MK. "Aspects of Female migration in India 1961-71", Economic and political weekly, 1980:15:714-720.
18. Srivastava R. Migration and the Labour Market in India, The Indian Journal of Labour Economics, 1998:41:4